

11/5/16 पम्बली पेशा कुर्मी जैर साफल ताहनीनडार 7800
 ने पत्रांक CR/206/11 दि 11/5/16 से रिपोर्ट पेश
 कर जवाब दिना कि ग्राम कलकड के खण्ड 200
 रकबा 3.52 हेर चरागाह से रवाता सेलया 121
 जमाबंदी समय 2067-70 के बंजड-15 जहाँ
 चरागाह 22 कि. की किलो) अल्यार्ड निषेधाशा के
 सापलाग के सुविधा का संयुक्त का ध्यान के उक्त
 हुए ग. I कलाया जाना सुचित प्रतीत नहीं होगा
 अतः अल्यार्ड निषेधाशा श्वारिज की जाती है प्र
 में पम्बली वाड लमीर तकनीक फसल सुमा होकर
 वाखिल पफतर है। वर्या (हकम की जावे)

उप जिम्न कलेक्टर
 हिण्डौन सिटी, जिला करौली